प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला

सेवा में

हरियाणा राज्य में स्थित
सभी राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय।

यादी क्रमांक 2/38–2024 सी–5 (3)
दिनांक, पंचकूला 11/07/25

विषयः– **AMENDMENT IN HARYANA AFFILIATED COLLEGES (PENSION AND CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND) RULES 1999 AS AMENDED IN 2001.**

....

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको अधिसूचना दिनांक 09.07.2025 की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि आपके महाविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी कर्मचारी इस अधिसूचना में कवर होता है, उसका केस पूर्ण दस्तावेज सहित इस निदेशालय को भिजवाये ताकि मामले में उचित कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः अधीसूचना 09.07.2025 की प्रति

अधीक्षक महाविद्यालय–5
कृतेः महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा
पंचकूला।

HARYANA GOVERNMENT

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 9th July, 2025

No. S.O. 61 /H.A.15/1979/S.4, 5 and 16/2025.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 16 and sections 4 and 5 of the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Act, 1979 (15 of 1979), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 1999, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Amendment Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Affiliated Colleges (Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 1999, in rule 15, in sub-rule (3), in clause (1), in sub-clause (g),-

(i) for the sign ';'existing at end, the following sign '.' shall be substituted; and

(ii) the following sub-clause shall be added, namely:-

"(h) son and daughter suffering from disorder or disability of mind or physically crippled or disabled irrespective of his/her age provided they were wholly dependent upon the employee when he/she was alive.".

VINEET GARG,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Higher Education Department.

11968—L.R.—H.G.P., Pkl.

भाग–III

हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जुलाई, 2025

संख्या का०आ० 61/ह०अ०15/1979/धा० 4, 5 तथा 16/2025.— हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (1979 का 15) की धारा 4 और 5 तथा धारा 16 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य–निधि) नियम, 1999 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य–निधि) संशोधन नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन तथा अंशदान भविष्य–निधि) नियम, 1999 में, नियम 15 में, उप नियम (3) में, खण्ड (1) में, उप–खण्ड (छ) में,–

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ';' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित उप–खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(ज) मानसिक विकार या अशक्तता से पीड़ित या शारीरिक रूप से अपंग या अशक्त पुत्र और पुत्री, उनकी आयु को ध्यान में रखे बिना, बशर्ते कि वे कर्मचारी के जीवित रहते समय उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे।"।

विनीत गर्ग,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।